

सुरक्षा अलर्ट

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपायों) अधिनियम, 2010 की नियमावली 60 और 61 के मुताबिक, दुर्घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं के बचने के लिए यह जरूरी है कि बिजली के मेन्स या बिजली की अन्य चीजों से, ऊपरी या समतल स्तर पर निम्नलिखित न्यूनतम दूरी अवश्य रखी जाए।

क्रम संख्या	लाइन/अन्य चीजें	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/ बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतल दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/ बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
1	कम से मध्यम वोल्टेज लाइन तथा 650 वोल्ट तक की सर्विस लाइन	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
2	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
3	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
4	बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज लाइन 33000 वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)

नोट: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित उपायों) अधिनियम, 2010 की नियमावली 60 और 61 के उल्लंघनकर्ता किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान (जीवन, संपत्ति आदि) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार समझे जाएंगे और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी।

बीवाईपीएल को मिला ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल अवॉर्ड

इंग्लैंड की ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड यानी बीवाईपीएल को इंटरनेशनल सेफ्टी अवॉर्ड / अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। 25 अप्रैल को लंदन के ग्रॉसवर्नर हाउस में बीवाईपीएल को पुरस्कृत किया गया। यह दूसरा मौका है, जब बीवाईपीएल को इंग्लैंड के इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है।

इससे पहले 2012 में भी, बीवाईपीएल को यह पुरस्कार मिला था। बीवाईपीएल देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसे दो बार यह पुरस्कार मिला है।

करावलनगर में सेल्फ डिफेंस कैंप



बीवाईपीएल और दिल्ली पुलिस की महिला व बाल इकाई विशेष शाखा द्वारा पांचवें सेल्फ डिफेंस कैंप का आयोजन किया गया। नवयुग हैप्पी पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल में इसका आयोजन हुआ।



हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं,
कॉल करें 399 99 808

आपकी सेवा में चौबीसों घंटे

बिजली आपूर्ति संबंधी कोई दिक्कत है, तो आप हम तक इन माध्यमों से पहुंच सकते हैं:

कॉल करें 24 X 7	399 99 808
एसएमएस	टाइप करें बीएसईएसवाईपी, स्पेस दें, एनसी लिखें, स्पेस दें, नौ अंकों वाला सीए नंबर टाइप करें और 5-61-61-08 पर भेज दें
आईवीआरएस	किसी रजिस्टर्ड नंबर से 399 99 808 पर फोन करें। भाषा चुनें बिजली गुल के लिए 1 दबाएं, और आईवीआरएस आधारित सेवाओं के लिए ऑप्शन 2 चुनें। आपका अनुरोध स्वतः रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं कर रहे हैं, तो अनुरोध दर्ज कराने के लिए अपना सीए/ सीआरएन नंबर पंच करें।

बिजली चोरी रोकें, बिजली बचाए

बिजली कानून की धाराओं 126, 135, 136, 138 और 150 के तहत, बिजली चोरी यानी तारों पर कटिया डालकर बिजली चोरी करना, मीटर के साथ छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करना – डीईई, बिजली चोरी में किसी का सहयोग करना या बिजली कंपनी के किसी उपकरण की चोरी करना एक जुर्म है। इसके लिए भारी जुर्माना, या तीन साल तक जेल की सजा या दोनों हो सकते हैं। बिजली चोरी करने वालों की संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है।

2002 से 2013 के बीच बीएसईएस ने

- बिजली चोरी के 2.5 लाख से अधिक मामले पकड़े।
- करीब 18 लाख किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी।
- करीब 1450 लोगों को बिजली चोरी में जेल भेजा गया।

अन्य बिजली वितरण कंपनियों की तरह बीवाईपीएल भी योजनाबद्ध तरीके से बिजली वितरण सिस्टम के रखरखाव और उन्नतिकरण का काम कर रही है। इस काम में हमें संबंधित इलाके में शटडाउन लेना पड़ता है। आप, अपने इलाके में बिजली नेटवर्क की मरम्मत व रखरखाव संबंधित जानकारियों के लिए क्लिक करें www.delhisidc.org और www.bsesdelhi.com

अपने सुझाव व विचार हमें इस पते पर भेजें – कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीवाईपीएल,
रजिस्टर्ड ऑफिस: शक्ति किरण बिल्डिंग, कडकडडूमा, दिल्ली – 110032।
सीआईएन: U74899DL2001PLC111525, टेलीफोन: 011 3999 9808, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com